

02.01.2026

पत्रवाली आज पेशी में ली गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया की वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं की जा रही है। वादी को लगातार नोट करवाया जा रहा है। वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी अज्ञात/वकालतन उपस्थित नहीं आये। वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वादपत्र तलबी अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
उपखण्डाधिकारी
नगद